

खवाल नं 631

खालिका=13रु

कार्यालय, राजस्व अधिकारियों के कार्यालय

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी खैर (अलीगढ़)

वाद सं- 17 - अन्तर्गत धारा 143 Z.A. & L.R. Act.

राजेश्वरी देवी - वनाम - सरकार
गौजा - धरबरा - परगना - टप्पल - तहसील - खैर

नया आदेश 3027-209

प्रस्तुत वाद तहसीलदार खैर की आख्या दि० 31-12-2009 के आधार पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत वाद योजित हुआ। तहसीलदार ने अपनी आख्या में अंकित किया है, कि मौजा 595-के गाटा सं० 3377, 3382-धरबरा परगना टप्पल-के खाता सं० 1334 के संकमणीय भूमिधर पं- लक्ष्मीनाथ शर्मा के नाम पर टप्पल तहसील के क्षेत्रफल 0-12-00 हैं। उक्त भूमि गाटा सं० 3377, 3382-के क्षेत्रफल 0-12-00 है। जिसे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया है।



अतः तहसीलदार की आख्या के आधार पर गौजा धरबरा परगना टप्पल तहसील खैर के गाटा सं० 3377, 3382-के क्षेत्रफल 0-12-00 के अन्तर्गत एवं नियम 135 के अधीन मालगुजारी से मुक्त करते हुए आबादी घोषित की जाती है। पत्रावली वाद कार्य वाही दाखिल दफतर की जाये।

उपजिलाधिकारी / सहा० कले० प्रथम श्रेणी खैर (अलीगढ़) 27/12/22

- प्रतिलिपि :- 1- तहसीलदार खैर को इस आशय से कि कृपया उक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में कराना सुनिश्चित करें।
- 2- उपनिबन्धक खैर को इस आशय से कि उक्त का अमल अपने अभिलेखों में अनुपालन हेतु कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी / सहा० कले० प्रथम श्रेणी खैर (अलीगढ़) 27/12/22

प्रारंभ करने का दिनांक 21-12-22
नकल तैयार होने का दिनांक 22-12-22
अंतिम होने का दिनांक 22-12-22

नकल नवीस के हस्ताक्षर
नकल तैयार करने के हस्ताक्षर
नकल शब्द की संख्या 3/2/22

22-12-22